मध्यप्रदेश राजपत्र भाग २, दिनांक ११ जून, १९७६ के पृष्ठ क्रमांक ७२७ में प्रकाशित :-

--- --- ---

भोपाल, दिनांक २ अप्रैल, १९७६ ।

क्रमांक २१३-अठारह-एक --- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१), की धारा ३५७ की उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, राजनांदगांव जिले की राजनांदगांव नगरपालिका द्वारा उक्त अधिनियम की धारा २८३ की उपधारा (१) के खण्ड (छ), धारा ३४९ की मद (एक) तथा ३५७ की उपधारा (५) के साथ पठित धारा ३५८ की उपधारा (८) के खण्ड (ग) की मद (चार) के अधीन बनाई गई उपविधियों को जो उक्त अधिनियम की धारा ३५७ की उपधारा (४) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित की जा चुकी है, पुष्टि करता है, अर्थात :-

उपविधियां

१- (१) ये उपविधियां राजनांदगांव नगरपालिका पेट्रोल पंप, डीजल पंप, क्रूड आयल पंप (स्थान अनुज्ञापन) उपविधियां, १९७६ कहलायेंगी ।

(२) इनका विस्तार संपूर्ण नगरपालिका पर होगा ।

(३) ये उनके " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगी ।

२- इन उपविधियों के प्रारंभ होने से राजनांदगांव नगरपालिका में प्रवृत्त इन उपविधियों के तत्स्थानी वे समस्त नियम आदेश तथा उपविधियां, जो इन उपविधियों के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त हों, निरस्त हो जायेंगे :

परंतु इस प्रकार निरस्त किन्हीं नियमों, आदेशों तथा उपविधियों के अधीन की गई बात या कोई कार्यवाही, जब तक कि वह इन उपविधियों के उपबंधों से असंगत न हो, इन उपविधियों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी ।

३- इन उपविधियों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) " मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी " से अभिप्रेत है नगरपालिका परिषद्, राजनांदगांव का मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ;

(ख) " परिषद " से अभिप्रेत है नगरपालिका परिषद्, राजनांदगांव ;

(ग) " नगरपालिका " से अभिप्रेत है राजनांदगांव नगरपालिका ,

४- कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के अधीन इस संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति के सिवाय या इस प्रकार मंजूर की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों से अन्यथा

Scanned by CamScanner

५- अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र होने पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इन उपविधियों से संलग्न प्रपत्र में अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा या अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर सकेगा ।

६- इन उपविधियों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के लिये रु० १०० (एक सौ रुपये) वार्षिक फीस प्रभारित की जायेगी एवं ऐसी फी स्वामी द्वारा देय होगी ।

७- इन उपविधियों के अधीन एक बार मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, जो निलंबित अथवा रद्द न की गई हो, आवेदन पत्र दिये जाने पर तथा उपविधि ५ में विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान किये जाने पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा नवीकृत की जा सकेगी । नवीकरण के लिये आवेदन प्रतिवर्ष १५ मार्च के पूर्व किया जावेगा ।

८- मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इन उपविधियों में उल्लिखित शर्तों में से किसी भी शर्त का भंग होने पर इन उपविधियों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबित कर सकेगा ।

९- उपविधि ७ के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए इन उपविधियों के अधीन मंजूर की गई या नवीकृत की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, उसके मंजूर किये जा[ने] के दिनांक से पश्चात्वर्ती ३१ मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि के लि[ये] विधिमान्य होगी ।

१०- इन उपविधियों के अधीन मंजूर की गई या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति यदि विरूपित हो जाय, गुम हो जाय या नष्ट हो जाय, तो नगरपालिका पदाधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्[यक] समझे, अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति पांच रुपये फीस का भुगतान किये जाने [पर] जारी कर सकेगा ।

११- (१) अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इंकार करने या अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित करने का प्रत्येक आदेश लिखित में अभिलिखित किया जायगा [और] उसमें ऐसे आदेश के कारणों के विवरण संक्षिप्त में अन्तर्विष्ट होंगे । ऐसे आदेश की एक प्रति उससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति को निःशुल्क प्रदाय की जायेगी ।

(२) इन उपविधियों के अधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी [के] आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसको आदेश की संसूचना के तीस दिन [के] भीतर, परिषद को अपील कर सकेगा ।

१२- इन उपविधियों के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होंगी, अर्थात् :-

(क) अनुज्ञप्त स्थान को [illegible] तरह [illegible] दशा में तथा

समयों पर, परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से नियुक्ति किये गये परिषद के सदस्य या पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिये खुला रखेगा और अनुज्ञप्तिधारी ऐसे निरीक्षण को सुकर बनायेगा ।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त स्थान में आग बुझाने के लिये आवश्यक उपकरण और सामग्री रखेगा और ऐसी पूर्वावधानियां बरतेगा जैसा कि परिषद द्वारा आदेशित की जाय ।

टिप्पणी :- परिषद उपविधि ४ में विनिर्दिष्ट कतिपय वस्तुओं के हेतु अनुज्ञप्त स्थान में बनाये रखे जाने के लिये उपकरणों तथा सामग्रियों के प्रकारों के विहित कर सकेगी ।

(घ) अनुज्ञप्ति धारी, अनुज्ञप्त स्थान में विद्युत की व्यवस्था कन्ड्यूट पाइप के माध्यम से करवायेगा ।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी, आबादी स्थान से १०० मीटर की परिधी के भीतर पेट्रोल पंप, डीजल पंप, क्रूड आयल पंप स्थापित नहीं करेगा ।

(च) अनुज्ञप्तिधारी, उस स्थान को, जिसमें ऐसी सामग्री जैसे पेट्रोल पंप, डीजल पंप, क्रूड आय पंप स्थापित ~~नहीं करेगा ।~~ हो, बाड़ (फेंसिंग) या पक्की दीवाल द्वारा घेरेगा और वह किसी भी व्यक्ति को ३ मीटर के भीतर निवास करने की अनुज्ञा नहीं देगा :

(छ) अनुज्ञप्तिधारी, उन अनुज्ञप्त स्थान पर, जो पेट्रोल, डीजल अथवा क्रुड आयल संग्रहित करने के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाता हो, किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान करने या उसे आग जलाने या किसी पदार्थ को जलाने की अनुज्ञा नहीं देगा ।

(ज) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त स्थान के सहजदृश्य भाग पर एक ऐसा बोर्ड जिस पर अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा अनुज्ञप्त स्थान में संग्रहित सामग्री के ब्यौरों का वर्णन लिखा रहेगा, लगायेगा ।

१३- इन उपविधियों में से किसी का भी भंग ऐसे जुर्माने से जो ५००- रुपये (पांच सौ रुपये) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा, और जब भंग ~~निरन्तर~~ निरंतर प्रकार का हो तो ऐसे जुर्माने से, जो प्रथम भंग के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें कि ऐसे भंग का निरंतर होना ... हो, १ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

क्रमशः

अनुज्ञप्ति का प्रारूप

(उपविधि ४ देखिये)

अनुज्ञप्ति क्रमांक   दिनांक

व्यापार प्रयोजन के लिये राजनांदगांव नगरपालिका की सीमाओं के भीतर पेट्रोल। डीजल क्रूड आयल के संग्रह के लिये स्थान के उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति.

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और राजनांदगांव नगरपालिका पेट्रोल पंप, डीजल पंप, क्रूड आयल पंप (स्थान अनुज्ञापन) उपविधियां, १९७६ के अधीन तथा उसके उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, एतद् द्वारा श्री - - - - - - - - - - - - - - - - आत्मज - - - - - - - - - - को - - - - - - - - - रुपये की अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करने पर व्यापार करने के प्रयोजन के लिये उक्त वर्णित उपविधियों की शर्तों के अधीन रहते हुए वार्ड नं० ----- में स्थित स्थान को पेट्रोल। डीजल क्रूड आयल के संग्रहण हेतु उपयोग में लाने के लिये अनुज्ञप्त किया जाता है।

यह अनुज्ञप्ति दिनांक - - - - - - से ~~दिनांक~~ - - - - तक (दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए) प्रवृत्त रहेगी।

स्थान :-

मुख्य नगरपालिका अधि
नगरपालिका परिषद
राजनांदगांव।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स० म० देव, उपसचिव

Scanned by CamScanner